सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति

(2019-2020)

13

सत्रहवीं लोक सभा

तेरहवां प्रतिवेदन

नेहरू युवा केंद्र संगठन, नई दिल्ली के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के बारे में समिति के 23वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में की गई सिफारिशों / टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई]

20.03.2020 को प्रस्तुत किया गया।

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली.

मार्च, 2020/ फाल्गुन, 1941(शक)

विषय सूची

		पृष्ठ
समिति की संरचना		(iii)
प्राक्कथन		(iv)
प्रतिवेदन	सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति के 23वें (16वीं लोक सभा) में की गई सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई	01
परिशिष्ट	सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति के 23वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में की गई सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई को दर्शाने वाला विवरण	03
अनुबंध	समिति की 04.03.2020 को हुई बैठक का कार्यवाही सारांश	10

सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति की संरचना

(2019-2020)

श्री श्याम सिंह यादव - सभापति

सदस्य

2. डॉ. शफीकुर्रहमान बर्क
3. श्री मारगनी भरत
4. ~~डॉ. ए. चेल्लाकुमार~~
5. ~~श्री पल्लब लोचन दास~~
6. श्री चौधरी मोहन जटुआ
7. चौधरी महबूब अली कैसर
8. डॉ. अमोल रामसिंह कोल्हे
9. श्री राजा अमरेश्वर नाईक
10. श्री जामयांग शेरिंग नामग्याल
11. श्रीमती अपरूपा पोद्दार
12. श्री टी.एन. प्रथापन
13. श्री एस. रामलिंगम
14. श्री सप्तगिरी शंकर उलाका
15. श्री अशोक कुमार यादव

सचिवालय

1. श्री बी. श्रीनिवास प्रभु - संयुक्त सचिव
2. श्री कुशल सरकार - निदेशक
3. श्री मुनीश कुमार रेवाड़ी - अपर निदेशक
4. श्रीमती रजनी भगत - समिति अधिकारी

12 sptember page 2019 kk

प्राक्कथन

मैं, सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति का सभापति, समिति द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किए जाने पर समिति के 23वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) ~~में अंतर्विष्ट सिफारिशों / टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में यह तेईसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।~~

2. समिति ने 04.03.2020 को हुई अपनी बैठक में इस प्रतिवेदन पर विचार किया और इसे स्वीकार किया ।

3. संदर्भ की सुविधा के लिए, समिति की टिप्पणियों / सिफारिशों को प्रतिवेदन में मोटे अक्षरों में मुद्रित कराया गया है।

नई दिल्ली;

मार्च, 2020

फाल्गुन,1941 (शक)

श्याम सिंह यादव
सभापति,
सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति।

13 ...

प्रतिवेदन

समिति का यह प्रतिवेदन नेहरू युवा केंद्र संगठन, नई दिल्ली के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के संबंध में समिति के तेईसवें प्रतिवेदन (16 वीं लोकसभा) में की गई सिफारिशों / टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई से संबंधित है। इसे 09.08.2018 को लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था।

2. उपर्युक्त प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सभी सिफारिशों/टिप्पणियों के संबंध में सरकार से की-गई-कार्रवाई उत्तर प्राप्त हो गए हैं। तदनुसार, तेईसवें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई को दर्शाने वाला विवरण <u>परिशिष्ट</u> में दिया गया है।

3. समिति ने अपने तेईसवें प्रतिवेदन में नेहरू युवा केंद्र संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 से 2016-2017 तक के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों की जाँच की और पाया कि वार्षिक लेखाओं के संकलन से लेकर लेखापरीक्षा प्राधिकारियों से लेखापरीक्षित लेखाओं को प्राप्त करने तक के प्रत्येक चरण में विलंब हुआ था। मंत्रालय के सचिव ने समिति को उनके द्वारा किए गए उपचारात्मक उपायों के बारे में अवगत कराया और समिति को सुनिश्चित किया कि वर्ष 2016-2017* के नेहरू युवा केंद्र संगठन के दस्तावेजों को निर्धारित समय के भीतर सभा पटल पर रखा जाएगा। तथापि, समिति, यह नोट करके निराश है कि मंत्रालय द्वारा किए गए कथित प्रयासों और मंत्रालय के प्रतिनिधि द्वारा दिए गए आश्वासन के बावजूद, वर्ष 2016-17 से 2018-2019 के नेहरू युवा केंद्र संगठन के दस्तावेजों को अभी तक सभा पटल पर रखा नहीं गया है। इसलिए, समिति ने यह निष्कर्ष निकालने के लिए बाध्य है कि इन कालक्रमिक घटनाओं से सारा ध्यान मंत्रालय की एक

* वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखा परीक्षित लेखे दिनांक 05.03.2020 को सभापटल पर रखे गए।

e:/cpl/ATR on Draft Report

सुदृढ़ व्यवस्था जिसमें निर्धारित अवधि के भीतर एनवाईकेएस के दस्तावेजों को संसद में प्रस्तुत करना सुनिश्चित हो, स्थापित करने में विफलता की ओर जाता है। यह समिति ऐसी लम्बी अवधि के लिए संबंधित मंत्रालय / संगठन द्वारा अपनी संसदीय जिम्मेदारी को पूरा न करने को बिल्कुल नज़रंदाज़ नहीं कर सकती। मौजूदा स्थिति को देखते हुए, समिति यह दोहराती है कि परिहार्य विलंबों को समाप्त करने के लिए प्रणालीगत खामियों को दूर करने और एक कार्य योजना तैयार करने का हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए, जिससे पत्रों को सभा पटल पर रखे जाने संबंधी संसदीय आवश्यकताओं को पूरा करने को सुनिश्चित किया जा सके। समिति चाहती है कि इस संबंध में मंत्रालय द्वारा उठाए गए सुधारात्मक उपायों से उसे अवगत कराया जाए।

मार्च, 2020
फाल्गुन, 1941(शक)

श्याम सिंह यादव
सभापति
सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति

परिशिष्ट

सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति के तेईसवें प्रतिवेदन (16वीं लोकसभा) में शामिल सिफारिशों/टिप्पणियों पर की गई कार्रवाई को दर्शाने वाला विवरण

सिफारिश सं.18

समिति ने बारंबार इस बात पर जोर दिया है कि किसी संगठन के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं दोनों को सभा पटल पर साथ-साथ रखा जाना चाहिए, जिससे संसद सदस्यों के सामने उस संगठन के कार्यकरण व उसकी गतिविधियों की पूरी तस्वीर आ सके। तथापि, समिति यह नोटकर निराश है कि युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय (युवा कार्यक्रम विभाग) एनवाईकेएस, दिल्ली के वर्ष 2012-13 से 2016-17 तक के आवश्यक दस्तावेजों को सभा पटल पर रखने जाने के संबंध में समिति द्वारा विशेष रूप से की गई सिफारिशों का अनुपालन करने में नाकाम रहा है। एनवाईकेएस के वर्ष 2012-13 और 2015-16 के वार्षिक प्रतिवेदनों व लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर 19 से साढ़े 23 महीनों के विलंब से रखा गया था। एनवाईकेएस के वर्ष 2016-17 के वार्षिक प्रतिवेदनों व लेखा परीक्षित लेखाओं को आज की तारीख तक सभा पटल पर नहीं रखा गया है। समिति ने इस बात पर अपनी अप्रसन्नता व्यक्त की कि मंत्रालय की ओर से बनाए गए प्रत्येक चरण को पूरा करने की समय सीमा का मंत्रालय द्वारा कभी पालन नहीं किया गया है। समिति मंत्रालय को निदेश देती है कि वह निर्धारित समय सीमा का पालन करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि भविष्य में एनवाईकेएस के वार्षिक प्रतिवेदनों व लेखा परीक्षित लेखाओं को निर्धारित समय के भीतर सभा पटल पर रखा जाए, नियमित अंतराल पर इसकीप्रगति की निगरानी करे।

सरकार का उत्तर

समिति की सिफारिश को नोट कर लिया गया है। यह मंत्रालय वार्षिक प्रतिवेदन और लेखा परीक्षित लेखाओं को समय पर प्रस्तुत करने के महत्व से पूरी तरह अवगत है। यह मंत्रालय नेहरू युवा केंद्र संगठन (एनवाईकेएस) के लेखाओं के संकलन और लेखा परीक्षा की प्रक्रिया को समय पर पूरा करने के लिए एनवाईकेएस से लगातार अनुरोध करता रहा है। मंत्रालय ने एमवाईकेएस को लेखाओं के संकलन/लेखा परीक्षा की प्रक्रिया को तेज करने और एमवाईकेएस के

वार्षिक प्रतिवेदन और वार्षिक लेखा परीक्षित लेखाओं को प्रस्तुत करने के लिए कहा है ताकि इसे संसद के सभा पटल पर रखा जा सके।

[युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय का दिनांक 30.10.2018 का कार्यालय ज्ञापन संख्या एफ.एच. 12015/1/ 2017- एनवाईकेएस (पार्ट फाइल)]

सिफारिश सं. 19

एनवाईकेएस के वर्ष 2012-13 से 2014-15 के दस्तावेजों को सभा पटल पर रखने में 19 से साढ़े 23 महीने के विलंब के कारणों की जांच करते हुए समिति यह नोट करती है कि वार्षिक लेखाओं के संकलन, सक्षम प्राधिकारियों से दस्तावेजों का अनुमोदन प्राप्त करना, दस्तावेजों को संबंधित मंत्रालय में भेजने में लगा समय विलंब के मुख्य कारण रहे हैं। समिति यह भी नोट करती है कि एनवाईकेएस ने उक्त वर्षों के वार्षिक लेखाओं के संकलन में प्रतिवर्ष 12 महीनों का समय लिया है, जबकि इस संबंध में समिति की ओर से तीन महीने का समय निर्धारित किया गया है। इस संबंध में 623 जिला स्तरीय कार्यालयों, 29 राज्य स्तरीय कार्यालयों और राष्ट्रीय मुख्यालय, दिल्ली से आंकड़ों/उपयोगिता प्रमाणपत्रों की प्राप्ति में विलंब का कारण होना बताया गया है। इसके अतिरिक्त, यह भी बताया गया है कि अपर्याप्त कर्मचारी होने से भी लेखाओं के संकलन से जुड़े कार्य में अड़चन आ रही है। तथापि, लेखाओं के संकलन में विलंब के कारण के रूप में लेखाओं के संकलन/उनकी आंतरिक लेखा परीक्षा के लिए प्रतिस्पर्धी बोली के जरिए सीए फर्मों को हायर करने को स्वीकार नहीं किया जा सकता जैसा युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय (युवा कार्यक्रम विभाग) की ओर से बताया गया है क्योंकि यह सेवाओं की प्रक्रिया की मानक कार्यप्रणाली है, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय (युवा कार्यक्रम विभाग) से यह आशा की जाती है कि वह इन प्रक्रियाओं में लगने वाले समय को ध्यान में रखे और यह सुनिश्चित करने के लिए कि इन दस्तावेजों को समय से सभा पटल पर रखा जाए, प्रत्येक कार्यकलाप की योजना समय से पहले बनाए।

सरकार का उत्तर

समिति की सिफारिश को नोट कर लिया गया है। एनवाईकेएस को निदेश दिया गया है कि वह इन प्रक्रियाओं में लगने वाले समय को ध्यान में रखते हुए किए जाने वाले प्रत्येक कार्यकलाप की योजना पहले से ही बनाए ताकि लेखाओं को समय पर प्रस्तुत किया जा सके।

[युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय का दिनांक 30.10.2018 का कार्यालय ज्ञापन संख्या एफ.एच. 12015/1/ 2017- एनवाईकेएस (पार्ट फाइल)]

सिफारिश सं. 20

समिति यह भी नोट करती है कि सक्षम प्राधिकारियों की बैठक आयोजित करने में विलंब से भी वार्षिक लेखाओं को अंतिम रूप देने में अनुचित विलंब हुआ है। समिति ने पाया है कि एनवाईकेएस ने वर्ष 2012-13 और 2013-14 के वार्षिक लेखाओं के संकलन के पश्चात इन्हें लेखा परीक्षा प्राधिकारियों के पास भेजने में क्रमशः तकरीबन 11 और 3 महीनों का समय लिया। मंत्रालय की ओर से यह भी बताया गया कि एनवाईकेएस के वर्ष 2012-13 के वार्षिक लेखाओं का अनुमोदन इसके बोर्ड के सदस्यों में इनके परिचालन द्वारा करवाया गया था। तथापि, समिति यह नहीं समझ पाई कि परिचालन द्वारा दस्तावेजों का अनुमोदन प्राप्त करने में 11 महीनों का समय लेने का क्या औचित्य है। समिति यह महसूस करती है कि यदि एनवाईकेएस की बैठक बुलाने में विलंब का होना पूर्वानुमानित था, तो वार्षिक लेखाओं का परिचालन से अनुमोदन प्राप्त करने के लिए गंभीरतापूर्वक यथासमय कदम उठाया जाना चाहिए था। मंत्रालय का इन दस्तावेजों को सभा पटल पर रखने में इस तरह के विलंब की अनुमति प्रदान करना संसद के प्रति ज़िम्मेदारी से मुंह मोड़ने वाली बात के बराबर है।

सरकार का उत्तर

समिति की टिप्पणी को नोट कर लिया गया है। यह मंत्रालय भविष्य में ऐसे विलंब से बचने के लिए उपचारात्मक उपाय कर रहा है। यह मंत्रालय वार्षिक प्रतिवेदन और लेखा परीक्षित लेखाओं को समय पर प्रस्तुत करने के महत्व से पूरी तरह से अवगत है।

[युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय का दिनांक 30.10.2018 का कार्यालय ज्ञापन संख्या एफ.एच. 12015/1/ 2017- एनवाईकेएस (पार्ट फाइल)]

सिफारिश सं. 21

विलंब का एक अन्य कारण बताया गया है जो इस बात से जुड़ा हुआ है कि लेखाओं की लेखा परीक्षा करने और अपेक्षित लेखा परीक्षा प्रमाण-पत्र जारी करने में लेखा परीक्षकों द्वारा अपेक्षाकृत अधिक समय लिया जाता है। लेखा परीक्षा प्राधिकारियों ने वर्ष 2012-13 और 2013-14 की लेखा संबंधी प्रक्रिया को पूरा करने में क्रमशः लगभग 05 और 07 महीनों का समय लिया था। इस तरह लंबा समय लिए जाने के संबंध में मंत्रालय/एनवाईकेएस की ओर से कारण नहीं बताए गए हैं। अतः समिति यह सिफारिश करती है कि इसका एक सार्थक हल निकलने के लिए युवा कार्यक्रम विभाग, एनवाईकेएस द्वारा इस मामले को समुचित तरीके से लेखा परीक्षा प्राधिकारियों के साथ उठाया जाए। इस मामले में की-गई-कार्रवाई से समिति को भी अवगत कराया जाए।

सरकार का उत्तर

प्रक्रिया को समय पर पूरा करने के लिए इस मामले को भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के साथ उठाया गया है।

[युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय का दिनांक 30.10.2018 का कार्यालय ज्ञापन संख्या एफ.एच. 12015/1/ 2017- एनवाईकेएस (पार्ट फाइल)]

सिफारिश सं. 22

युवा कार्यक्रम विभाग के सचिव ने समिति को अवगत कराया कि एनवाईकेएस के वार्षिक लेखाओं के संकलन को नेटवर्क से जोड़ा जा रहा है और निधियों के उपयोग के बारे में भी ऑनलाइन अपलोड किया गया है, जिससे उपयोगिता प्रमाण पत्र समय से प्राप्त करना सुनिश्चित किया जा सके। संकलन/आंतरिक लेखा परीक्षा के लिए सीए फर्म के चयन/नियुक्ति की प्रक्रिया समय से काफी पहले ही शुरू की जाएगी जिससे लेखा वर्ष के समाप्त होते ही चयनित फर्म आगे बिना कोई समय गंवाए काम शुरू कर सके। मंत्रालय के सचिव ने समिति को यह आश्वस्त किया कि वे एनवाईकेएस के वर्ष 2016-17 के वार्षिक प्रतिवेदनों व लेखा परीक्षित लेखाओं को निर्धारित समय में सभा पटल पर रख पाएंगे। तथापि, समिति ने इस बात पर अपनी अप्रसन्नता व्यक्त की कि मंत्रालय के सचिव द्वारा आश्वासन दिए जाने के बावजूद, एनवाईकेएस के वर्ष 2016-17 के वार्षिक प्रतिवेदनों व लेखा परीक्षित लेखाओं को आज तक सभा पटल पर नहीं रखा गया है। इस तरह की दयनीय हालत से यह साफ-साफ जाहिर होता है कि मंत्रालय/ एनवाईकेएस द्वारा उल्लिखित सुधारात्मक उपाय का या तो समुचित तरीके से कार्यान्वयन नहीं किया गया है या फिर यह उपाय इस मामले में असाधारण विलंब पर अंकुश लगाने में नाकाफी हैं। समिति, मंत्रालय/ एनवाईकेएस को यह निदेश देती है कि वे इन दस्तावेजों को आगे बिना किसी विलंब के सभा पटल पर रखा जाना सुनिश्चित करें।

सरकार का उत्तर

समिति की सिफारिश को नोट कर लिया गया है। लेखाओं को दिनांक 28 सितंबर, 2018 को युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के अपर सचिव और वित्तीय सलाहकार की अध्यक्षता वाली वित्त समिति को जांच के लिए प्रस्तुत किया गया था और तत्पश्चात, वित्त समिति की सिफारिश के आधार पर इसे शासी निकाय के अनुसमर्थन के लिए प्रस्तुत किया गया हैं। शासी निकाय द्वारा अनुसमर्थन किए जाने के पश्चात अंतिम लेखाओं को सांविधिक लेखापरीक्षा के लिए महानिदेशक लेखापरीक्षा (केन्द्रीय व्यय) [(डीजीए(सीई)] को प्रस्तुत किया जाएगा। डीजीए(सीई)

को लेखापरीक्षा करने, प्रारूप प्रतिवेदन और प्रमाण पत्र जारी करने में सामान्य तया 5 से 6 महीने का समय लगता है। इस प्रकार आशा है कि एनवाईकेएस के वर्ष 2016-17 के वार्षिक लेखे संसद के दोनों सदनों में वर्ष 2019 के बजट सत्र के दौरान प्रस्तुत करने के लिए तैयार हो जाएंगे।

[युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय का दिनांक 30.10.2018 का कार्यालय ज्ञापन संख्या एफ.एच. 12015/1/ 2017- एनवाईकेएस (पार्ट फाइल)]

सिफारिश सं. 23

समिति मंत्रालय पर इस बात के लिए भी जोर देती है कि यदि किन्हीं कारणों से एनवाईकेएस के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखा परीक्षित लेखाओं को निर्धारित समय में सभा पटल पर नहीं रखा जा सका तो उन कारणों को दर्शाने वाला विवरण निश्चित रूप से 30 दिनों के भीतर सदन के पटल पर रखा जाना चाहिए कि अपेक्षित दस्तावेज निर्धारित समयावधि में सभा पटल पर क्यों नहीं रखे जा सके; जैसा कि समिति द्वारा उसके पूर्ववर्ती प्रतिवेदन में सिफारिश की गई थी।

सरकार का उत्तर

समिति की सिफारिश को भावी संकलन के लिए नोट कर लिया गया है।

[युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय का दिनांक 30.10.2018 का कार्यालय ज्ञापन संख्या एफ.एच. 12015/1/ 2017- एनवाईकेएस (पार्ट फाइल)]

अनुबंध

सभापटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति (2019-20) की बैठक के कार्यवाही सारांश के उद्धरण

समिति की बैठक, बुधवार, 04 मार्च, 2020 को 15:00 बजे से 16:00 बजे तक समिति कक्ष 'ई', संसदीय सौध, नई दिल्ली में हुई ।

उपस्थित

श्री श्याम सिंह यादव - सभापति

सदस्य

2. श्री शफीकुर्रहमान बर्क
3. श्री पल्लव लोचन दास
4. चौधरी महबूब अली केसर
5. डॉ. अमोल रामसिंह कोल्हे
6. श्री राजा अमरेश्वर नाईक
7. श्री जामयांग शेरिंग नामग्याल
8. श्री टी.एन. प्रथापन
9. श्री सप्तगिरी उलाका
10. श्री अशोक कुमार यादव

सचिवालय

1. श्री बी. श्रीनिवास प्रभु - संयुक्त सचिव
2. श्री कुशल सरकार - निदेशक
3. श्री मुनिश कुमार रेवाड़ी - अपर निदेशक

X X X X X

X X X X X

X X X X X

2. सर्वप्रथम, माननीय सभापति ने समिति की बैठक में सदस्यों का स्वागत किया और उन्हें इस बैठक की कार्यसूची से संक्षेप में अवगत कराया।

3. तत्पश्चात्, समिति ने वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में विलम्ब से संबंधित निम्नलिखित प्रतिवेदनोंपर विचार करने के लिए लिया।

(1) भारत ब्राडबैंड नेटवर्क लिमिटेड (बीबीएनएल), नई दिल्ली;
(2) एसईजेड-काल्टा, कोलकाता, एसईईपीजेड, मुंबई और नोयडा;
(3) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए), नई दिल्ली;
(4) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, नई दिल्ली;
(5) विज्ञान और अभियांत्रिकी अनुसंधान बोर्ड, नई दिल्ली;
(6) राष्ट्रीय खेलकूद विकास निधि (एनएसडीएफ);
(7) पांच क्षेत्रीय सांस्कृति केन्द्र अर्थात दक्षिण क्षेत्र सांस्कृति केन्द्र (एसजेडसीसी), तंजावुर, पश्चिम क्षेत्र सांस्कृति केन्द्र (डब्ल्यूजेडसीसी), उदयपुर, दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृति केन्द्र (एससीजेडसीसी), नागपुर, उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृति केन्द्र (एनसीजेडसीसी), इलाहाबाद और उत्तर पूर्व क्षेत्र सांस्कृति केन्द्र (एनईजेडसीसी), दीमापुर;
(8) भारतीय निर्यात निरीक्षण परिषद (ईआईसी)।

कुछेक चर्चा करने के उपरांत, समिति ने बिना किसी संशोधनों के इन आठ प्रतिवेदनों को स्वीकार किया।

4. तत्पश्चात्, समिति ने वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में विलम्ब से संबंधित समिति द्वारा अपने प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों/टिप्पणियों पर निम्नलिखित प्रारूप की-गई-कार्रवाई से संबंधित निम्नलिखित प्रतिवेदनोंपर विचार करने के लिए लिया।

(1) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीबीसीबी), नई दिल्ली;
(2) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी), नई दिल्ली;
(3) बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी;
(4) अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़;
(5) नेहरू युवा केन्द्र संगठन, नई दिल्ली;
(6) राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान (एनआईएसई), नई दिल्ली;

(7) मुख्य आयुक्त, दिव्यांगजन कार्यालय (सीसीपीडी), नई दिल्ली;
(8) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (एनसीएसटी), नई दिल्ली;
(9) राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग (एनसीएसके), नई दिल्ली;
(10) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मेघालय;
(11) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मिजोरम;
(12) राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एनएमसीजी), नई दिल्ली;
(13) एम्स (भोपाल, भुवनेश्वर, जोधपुर, पटना और ऋषिकेश);
(14) सेंटर फॉर डेवलपमेंट फॉर टेलीमेटीक्स (सी-डॉट), नई दिल्ली; तथा
(15) राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा अनुसंधान संस्थान (नाईपर), मोहाली।

कुछेक चर्चा करने के उपरांत, समिति ने बिना किसी संशोधनों के इन पंद्रह प्रतिवेदनों को स्वीकार किया।

5. समिति ने इस प्रतिवेदन को संसद में प्रस्तुत करने हेतु माननीय सभापति को प्राधिकृत किया।

6-16. X X X X X

तत्पश्चात्, समिति की बैठक स्थगित हुई।